अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/402/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 31/5/ 2013

सेवा में

श्री संजय कुमार,
मकान नं. 286-ए, लेन सं. 07,
फेज-9, शिव विहार,
करावल नगर, दिल्ली-110094

विषय: **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक 09.05.2013 का आवेदन।**

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 23.5.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत इस मंत्रालय के दिनांक 22.11.2012 के पत्र सं. 14036/10/2012-यू टी पी के तहत पहले ही दिल्ली पुलिस को अग्रेषित की जा चुकी है तथा इसलिए, आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है।

U16

3. इस उत्तर के संबंध में, गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,

Issued with encl.
1605
18/6.

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं
अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष : 23092856

प्रति प्रेषित :

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली- आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।